

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 28() परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी./जोधपुर-संभाग/2020/420

जयपुर, दिनांक: 28-02-2021

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 अनुसार निम्न कार्मिकों की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 27/18 वर्ष की सेवायें सन्तोषप्रद पूर्ण होने से Pay Band 9300-34800 Grade Pay 4800 / 4200 में तृतीय/द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	पंचायत प्रसार अधिकारी का नाम व पदस्थापित स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	27/18 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री दुर्ग सिंह, पं.स. जैसलमेर (जैसलमेर)	30.03.1988	30.03.2015 (तृतीय ACP)
2.	श्री ताराराम, पं.स. सांकड़ा मु. पोकरण (जैसलमेर)	16.01.1997	16.01.2015 (द्वितीय ACP)
3.	श्री गोकुल सिंह, पं.स. सांकड़ा मु. पोकरण (जैसलमेर)	13.01.1997	13.01.2015 (द्वितीय ACP)


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर को उनके पत्र क्रमांक 8803 दिनांक 03.02.2020 के क्रम में उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों की सेवापुस्तिकायें (सजिल्द 1+1+1=कुल-3) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिकाओं में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जैसलमेर/सांकड़ा मु. पोकरण (जैसलमेर)।
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी।
5. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी./अजमेर संभा./2018/421 जयपुर.दिनांक: 28-02-2020

:: आदेश ::

श्री राजुराम कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर (स्वर्गवास दिनांक 22.10.2019) की प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.03.1997 के अनुसार इनकी 18 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवायें दिनांक 21.03.2016 (पं. स., लाडनूं की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति के प्रस्ताव सं. 12 दिनांक 15.09.2006 द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण) को पूर्ण होने पर इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 व परिशिष्ट-VI के तहत पे मेट्रिक्स की लेवल 11 में द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को उनके पत्र क्रमांक 3414 दिनांक 29.01.2020 के क्रम में स्व. श्री राजुराम कुमार की सेवापुस्तिका (सजिल्द-एक) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिका में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर।
4. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)